न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, मुरादाबाद।

सीएनआर नं0–यूपीएमओ–04–

विविध वाद सं0–1466/2019

आगोश आलम उर्फ गौशे बनाम हाजी मुस्तफा आदि।

<u>प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द0प्र0स0 पर आदेश</u>

23.09.2020:–

पत्रावली आदेश हेतु नियत है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 पर सुना जा चुका है।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम मदारपुरा, थाना मैनाठेर, जिला मुरादाबाद का एक सीधा सादा व्यक्ति है। ग्राम के ही हाजी मुस्तफा प्रार्थी से काफी समय पूर्व से रंजिश मानते हैं। प्रार्थी की लगभग एक सप्ताह पूर्व मस्जिद में तकबीर पढ़ते हुये हाजी मुस्तफा से कहा सुनी हो गयी थी। हाजी मुस्तफा ने प्रार्थी को देख लेने की धमकी दी थी। इसी रंजिश के चलते दि0 05.08.2019 को शाम के समय करीब 4:30 बजे हाजी मुस्तफा अपने पुत्रों मुस्तेजाब, मुस्तेहसन, मुस्ते अली व सिफ्ते अली व भतीजों जफरयाब व सरफराज को साथ लेकर अपने हाथों में लाठी, डण्डे, तमंचे व धारदार हथियार लेकर मां बहन की गंदी–गंदी गालियां देते हुये प्रार्थी को जान से मारने की नियत से जबरदस्ती यह कहते हुये घर में घुस आये कि साले उस दिन तो तू मस्जिद में बच गया था। आज हम तेरी हत्या कारित करेंगे। घुसेते ही उपरोक्त लोगों ने प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी को मारना पीटना शुरू कर दिया तथा प्रार्थी को जान से मारने की नियत से हाजी मुस्तफा ने अपने हाथ में लिये तमंचे से फायर कर दिया, जिसमें प्रार्थी बाल बाल बचा तथा मुस्तेजाब व सिफ्ते अली ने अपने हाथ में लिये चाकू से प्रार्थी पर जान से मारने की नियत से वार किया तथा अन्य लोगों ने अपने हाथों में लिये लाठी डण्डों से प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी मुस्तेहसीन को बुरी तरह मारा पीटा। उपरोक्त व्यक्तियों के बुरी तरह मारने पीटने से प्रार्थी के पूरे शरीर पर धारदार हथियारों की गम्भीर चोटे आयी है। शोर शराबा सुनकर मोहल्ले के ही मुनाजिर एवं भूरा आदि बहुत से लोग मौके पर आ गये, जिन्होंने बमुश्किल प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी को उपरोक्त लोगों से बचाया। उपरोक्त व्यक्ति आइन्दा जान से मारने की धमकी देते हुये अपने घर को भाग गये। प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराने अपनी पत्नी के साथ थाने गया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी ने अपनी चोटों का मुआयना दि0 07.08.2019 को कराया है। दि0 06.08.2020 को एक प्रार्थना पत्र एसएसपी महोदय मुरादाबाद को भी दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही कराने की कृपा करें।

प्रार्थी ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में एस0एस0पी0 मुरादाबाद को भेजे गये प्रार्थना पत्र, आधार कार्ड व मेडिकल रिपोर्ट की छायाप्रति दाखिल की गयी हैं।

सम्बन्धित थाना हाजा की आख्या अनुसार उक्त प्रकरण में कोई अभियोग पंजीकृत होने से इंकार किया है।

सुना एवं प्रार्थना पत्र 156 (3) पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं सम्बन्धित थाने की आख्या का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि प्रार्थी द्वारा एसएसपी को भेजे गये प्रार्थना पत्र की प्रति पत्रावली पर है, किन्तु कोई रसीद पत्रावली पर दाखिल नहीं किया है।–**प्रियंका श्रीवास्तव व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0–2015, एसएससी–287''** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि दं0प्र0सं0 की धारा–156 (3) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व दं0प्र0सं0 की धारा–154 (3) के प्रावधान के अनुपालन में सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को डाक के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कथित प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित पत्र की प्रति तो प्रस्तुत की है, किन्तु कोई रसीद पत्रावली पर दाखिल नहीं किया है। मात्र प्रार्थना पत्र संलग्न करने से यह नहीं माना जा सकता कि धारा–154 (3) दं0प्र0सं0 का अनुपालन किया गया है, जब तक कि रजिस्ट्री रसीद की प्रति से उसकी सम्पुष्टि न हो। अतः यह माना जा सकता है कि प्रार्थी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र प्रेषित नहीं किया है। निष्कर्षतः प्रार्थी के द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा–156 (3) के प्रावधान के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–154 (3) के आज्ञाप्क प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है। निष्कर्षतः प्रार्थी के द्वारा विधिक प्रावधान का अनुपालन न किये जाने के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणनीय नहीं है।

आदेश

प्रार्थी आगोश आलम उर्फ गौशे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–156 (3) दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(कविता अग्रवाल)
ए0सी0जे0एम0 कक्ष स0–1,
मुरादाबाद।
जे0ओ0कोड–1937

Digitally signed by Kavita Agrawal
Date: 2020.09.23 15:39:20 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court